न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हुक्मीचन्द रोहलानियां, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 254/2022 प्रार्थनापत्र

1. सोहन पुत्र श्री धन्ना जाति तेली आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नारायण पुत्र श्री धन्ना जाति तेली आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––– प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपी पुत्र श्री मूला जाति भील आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोमा पुत्र श्री रत्ता जाति भील आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. बरजी देवी पत्नी श्री मूला जाति भील आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भैरू पुत्र श्री सोहन जाति भील आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. लादू लाल पुत्र श्री सोहन जाति भील आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. सोनी पत्नी श्री सोहन लाल जाति भील आयु वयस्क निवासी– उदयराम जी का गुढ़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदयजी, बैंक शाखा आई.सी.आई.सी.आई बैंक कोशीथल तहसील गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदयजी, बैंक ऑफ बडौदा शाखा करेड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश सिह तंवर –अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विपक्षीगण

:: निर्णय :: दिनांक–27.09.2023

प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद उदयराम जी का गुढ़ा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.2909 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थीगण का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। आराजी नम्बर 989, 990 जो कि विपक्षीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि विपक्षीगण की आराजी नम्बर 989, 990 मे से होकर बिलानाम आराजी नम्बर 992/1 रास्ता से होकर जाता है, प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि मे 20 फीट चौडाई के रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण उपस्थित रहे। प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा [illegible] वैकल्पिक [illegible] भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आवश्यकता [illegible] की।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण [illegible] अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.12 16:05:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा